प्रेषक,

आयुक्त
झाँसी मण्डल,
झाँसी।

सेवा में,

प्रबंधक,
के एस एकेडमी,
स्वर्गेश्वर मंदिर रोड, गुरसरांय रोड
झॉकरी , मऊरानीपुर (झांसी)

पत्रांक– 837 क्षे.शि.नि.का. झांसी/ अनापत्ति/2017–18 दिनांक– 02.04.2017

विषयः– माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में संचालित के एस एकेडमी स्वर्गेश्वर मंदिर रोड, गुरसरांय रोड, झांकरी, मऊरानीपुर (झांसी) को केन्द्रीय माध्यमिक परिषद (CBSE) से संबद्धता प्राप्त किये जाने हेतु अनापत्ति प्रदान किये जाने विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र संख्या 406 दिनांक 02/04/2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद (CBSE) से संबद्धता प्राप्त करने के पूर्व अनापत्ति प्रदान करने विषयक है। इस संबद्ध में केन्द्रीय माध्यमिक परिषद (CBSE) संख्या No. CBSE/Aff./Circular/7/2016/1182259 dated 29-12-2016 द्वारा AMENDMENT IN AFFILIATION BYE-LAWS OF THE BOARD-Rule 3.3 (i) CHAPTER II-Reg द्वारा The School seeking proisional affiliation with the Board shall Education Department i.e. Recognition for classes I to V required for Middle Class Apporval and Recognition for classes I to VIII required for Provisional Affiliation upto Secomndary Level AND

(b) No Objection Certiuficate to the effect that state Government has no objection to the affiliation of the school with CBSE No Objection Certificate once issued to any school will be considered at per even if it prescribed a specific period and/or level unless it is withdrawn. Stated at Rule 3.1(i) to (iv) of Affiliation Bye- laws of the Board. पाठयक्रम प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति/निर्वाधन(क्लीयरेंस) प्रदान किये जाने संबंधी गठित समिति की संस्तुति के आधार पर संस्थान के संबंध में प्राप्त प्रस्ताव का सम्यक परीक्षण शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों द्वारा निर्धारित मानकों के स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत शिक्षण कार्य प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति/निर्वाधन (क्लीयरेंस) निम्न शर्तो के साथ प्रदान की जाती है–

(1) पाठयक्रम का संचालन संबद्धता प्राप्त होने के बाद ही किया जायेगा। संबद्धता प्राप्त किये बिना छात्रों के प्रवेश की कार्यवाही कदापि प्रारम्भ नहीं की जायेगी।

(2) उक्त संस्थान भविष्य में भूमि, भवन तथा अन्य किसी प्रकार की वित्तीय सहायता के लिए न तो शासन से मांग करेगी और न ही उसके द्वारा किये गये किसी कार्य के कारण उत्पन्न हुई वित्तीय दायित्व की देनदारी राज्य सरकार की होगी।

(3) संस्थान की किसी लायबिलिटी से राज्य सरकार का कोई सरोकार नहीं होगा। राज्य सरकार एवं केन्दीय माध्यमिक शिक्षा परिषद (CBSE) द्वारा मानकों के अनुसार भूमि भवन एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता संबद्धता से पूर्व संस्थान द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

उक्त पाठयक्रम में स्टाफ के वेतन आदि पर पड़ने वाला समस्त भार संस्थान द्वारा वहन किया जायेगा एवं संबद्धता के समय इस आशय की लिखित अण्डरटेकिंग भी प्रस्तुत करनी होगी।

मानकानुसार आवश्यक भूमि संस्थान के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराकर खतौनी की प्रति सक्षम राजस्व अधिकारी से प्रमाणित कराकर अथवा भूमि किसी प्राधिकरण से क्रय किये जाने की स्थिति में लीज डीड की प्रमाणित प्रति संबद्धता के प्रस्ताव के साथ उपलब्ध करायी जायेगी।

उक्त पाठयक्रम का संचालन अनापत्ति के साथ भू– अभिलेखों में उल्लेखित ग्राम झांकरी तहसील मऊरानीपुर जिला झांसी के खाता खतौनी संख्या 00055 गाटा संख्या 499/2 रकवा 0.676 हे0 व खतौनी संख्या 00287गाटा संख्या 500 रकवा 0.259 हे0 कुल क्षेत्रफल 0.935 हे0 यानी 9350 वर्गमीटर में ही संचालित किया जायेगा।. अन्यत्र संचालित करने पर यह अनापत्ति आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा। उक्त भूमि को संबद्धता के प्रस्ताव के पूर्व संस्थान के नाम राज्स्व अभिलेखों में दर्ज करा लिया जायेगा।

ट्रस्ट/सोसाइयटी एक प्रबंध समिति का गठन कर लेगा और उसके सदस्य परस्पर संबंधी नहीं होंगी और भूमि संस्थान के नाम विधितः अन्तरित कर दी जायेगी।

केन्दीय माध्यमिक शिक्षा परिषद (CBSE) को प्रस्ताव प्रस्तुत करने के पूर्व मानकों के अनुसार धनराशि जमा रखसना सुनिश्चित करेंगे।

कृपया उपरोक्त अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

(अमित गुप्ता)
आयुक्त

संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) सचिव, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग –2 उ.प्र. शासन लखनऊ।
(2) प्रबंधक/के एस एकेडमी स्वर्गेश्वर मंदिर रोड, गुरसरांय रोड झॉकरी , मऊरानीपुर (झांसी)
(3) शिक्षा निदेशक (मा.शि.) इलाहाबाद उ.प्र.।
(4) क्षेत्रीय शिक्षा निदेशक झांसी मण्डल।
(5) जिलाधिकारी झांसी।
(6) अपर आयुक्त, प्रशासन, झांसी मण्डल झांसी।
(7) जिला विद्यालय निरीक्षक एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी झांसी।
(8) गार्ड फाइल।

भवदीय

(अमित गुप्ता)
आयुक्त